मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

:: आदेश ::

क्रमांक F1-59/2009/20-1   भोपाल, दिनांक 30/11/2009

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी

विषय:– कक्षा 9 वी से 12 वीं के स्कूलों में विषयवार शिक्षकों के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति पे (–) पेंशन के आधार पर करने विषयक।

कक्षा 9 वीं से 12 वीं के शालाओं में शिक्षकों की कमी को देखते हुये यह विचार किया गया है कि शुद्ध रूप से रिक्त पदों की पूर्ति ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षकों से की जावे जो पद रिक्ति के गांव/नगर में उपलब्ध हों। ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षकों को पद के वेतन में से देय पेंशन घटाकर अस्थाई नियुक्ति निश्चित समयावधि जो शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी, के लिये की जा सकेगी। प्रारंभ में विषयवार कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षकों के पद, जो जिले में की गई पूर्ण जिले की उपलब्धता को शामिल करने के उपरांत पद रिक्त है, तथा जिनके लिये उक्त विषय के एवं उक्त वर्ग के संविदा शिक्षकों की कोई Select List/Waiting List उपलब्ध न हो, पर इस शिक्षा सत्र वर्ष 2009–10 के अंत तक की अवधि के लिये सेवानिवृत्त शिक्षक, जो पद रिक्ति के गांव/नगर में ही उपलब्ध हो, को नियुक्त करने की सहमति दी जाती है। नियुक्ति के समय निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जावे–

(1) ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक इस योजना में पात्र होंगे जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हैं।

(2) सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु अधिकतम 70 वर्ष तक हो सकती है।

(3) सेवानिवृत्त शिक्षक सेवानिवृत्ति उपरांत अध्यापन कार्य में रूचि रखते हों एवं लिखित में सहमति प्रदान करें।

(4) सेवानिवृत्त शिक्षक के स्वास्थ्य के कारण यदि वे अध्यापन कार्य में असमर्थ होते हैं तो वे 1 माह की पूर्व सूचना देकर ऐसी नियुक्ति समाप्त करवा सकते हैं अन्यथा 1 माह के देय भुगतान को जमा कराकर तुरंत रिलीव हो सकते हैं।

(5) ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षकों को ऐसी नियुक्ति के पश्चात् न तो कहीं संलग्न किया जा सकेगा और न ही कहीं स्थानांतरित किया जावेगा।

(6) शुद्ध रूप से रिक्त पद पर ही ऐसी अस्थाई नियुक्तियां की जा सकेगीं। शुद्ध रूप से रिक्त पद का तात्पर्य है कि उस पद पर भर्ती/पदस्थ शिक्षक कहीं अटैच/अन्य स्थान पर मौखिक व लिखित आदेश पर कार्यरत न हो। अवकाश के कारण पद रिक्त नहीं माना जावेगा।

(7) सेवानिवृत्त शिक्षकों की ऐसी नियुक्ति छात्रों को पढ़ाने के लिये केवल स्कूलों में ही की जा सकेगी।

(8) सेवानिवृत्त शिक्षक उसी विषय का होना चाहिये जिस विषय की रिक्ति उपलब्ध हो।

(9) ऐसी नियुक्तियां शिक्षण सत्र के लिये होगी– ग्रीष्म अवकाश के दौरान कोई नियुक्ति नहीं की जावेगीं।

(10) सेवानिवृत्त शिक्षकों को केवल शासकीय सेवकों के लिए निर्धारित दिवसों के आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।

(11) शासकीय सेवकों को उपलब्ध किसी भी अन्य लाभ की पात्रता सेवानिवृत्त शिक्षकों को नहीं होगी।

(12) रिक्त पद पर भर्ती होते ही ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक की नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जायेगी और संबंधित को वेतन संबंधी कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

उक्त आदेश हेतु वित्त विभाग की सहमति CR 756/181133 दिनांक 24.11.2009 द्वारा प्राप्त की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

30/11/09

(एस0एन0 शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ०क्र० F1-59/2009/20-1 भोपाल, दिनांक 30/11/2009

प्रतिलिपि–

माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा की ओर सूचनार्थ।

30/11/09

(एस०एन० शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग